न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र सं.. — 10/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.केहरा पुत्र भूपला,जाति मेघवाल 2.मनरूपा पुत्र भूपला,जाति मेघवाल, 3.मगू बेवा भूपला,जाति मेघवाल, 4.जोराराम पुत्र कुम्भा,जाति मेघवाल 5.सन्तोष बेवा कुम्भा,जाति मेघवाल, निवासीगण जाखल हाल–गेना का –गोलिया,तहसील सांचोर,जिला जालोर		1.वीराराम पुत्र चिमाराम, जाति बिश्नोई,निवासी गेना का गोलिया, तहसील सांचोर 2.तहसीलदार (भूमिधारी),सांचोर, जिला जालोर

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1.श्री शम्भूदान आसिया,अभिभाषक,प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री त्रिलोकचन्द मेहता,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,अप्रार्थी सं. 2की ओर से।

आदेश — दिनांक 30.7.2019

1. यह रेफरेन्स प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण के अनुसार रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जाखल कृषि भूमि खसरा नम्बर (पुराने) 475 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा,खसरा नम्बर 586 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, जुमले रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार भूपला,कूम्भा,हाजिया पिसरान् महादेवा,जातियान् भांबी(मेघवाल),निवासीगण जाखल के नाम खातेदारी में प्रथम सेटलमेन्ट के समय से चली आ रही है, भूपला,कूम्भा,हाजिया पिसरान् महादेवा,जातियान् भांबी(मेघवाल) का कब्जा काश्त लगातार होने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2010 से 2013, संवत् 2014से 2017, 2018 से 2021 में अनुसूचित जाति के इन खातेदारों के नाम बतौर खातेदार दर्ज होता रहा है। सन् 1963 में अप्रार्थी के पिता चिमाराम पुत्र प्रतापाराम जाति विश्नोई ,निवासी जाखल ने एक वाद सं. 223/63 सहायक कलेक्टर मुख्यालय भीनमाल के न्यायालय में

अनुसूचित जाति के व्यक्ति खातेदार भूपला,कूम्भा,हाजिया पिसरान् महादेवा के विरूद्ध पेश किया तथा बिना कोई बयान,सबूत साक्ष्य लिये उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी अपने नाम घोषित करवा दी तथा उक्त फैसला दिनांक 13.12.1963 के आधार पर म्युटेशन सं.54से खातेदारी में चिमाराम पुत्र प्रतापाराम बिश्नोई का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर अनुसूचित जाति के व्यक्ति प्रार्थी सं.1 से 3 के पिता/पति भूपला,व प्रार्थी सं. 3 व 4 के पिता/पति कुम्भा का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया। अनुसूचित जाति के खातेदार भूपला,कुम्भा व हाजिया पिसरान् महादेवा ने कभी भी अपनी इस खातेदारी भूमि का बैचान या हस्तान्तरण गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति चिमाराम पुत्र प्रतापाराम विश्नोई का नही किया है।राज.काश्तकारी अधिनियम की धारा 42–बी के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम किसी भी रूप में नही हो सकती है,ऐसी भूमि यदि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति चिमाराम के नाम मुकद्में के निर्णय के द्वारा भी हस्तान्तरित होती है तो ऐसा फैसला व डिक्री भी एबइनिश्यो वॉईड है तथा ऐसा निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अवैध आदेश के अनुसरण मे आगे किये गये समस्त परिवर्तन भी निरस्तनीय होने के कारण म्युटेशन सं.54 भी खारिज किया जावे। पुराने खसरा नम्बर 475 के द्वितिय सेटलमेन्ट में सृजित नये खसरा नम्बर 1034 में व तथा पुराने खसरा नम्बर 586 की भूमि, नये खसरा नम्बर 1016में शामिल की गई है। प्रार्थी सं.1–केहरा व 2–मनरूपा जो मूल खातेदार स्वर्गीय भूपला के पुत्र है तथा प्रार्थी सं. 3–मगू जो भूपला की बेवा है तथा प्रार्थी सं.4–जोराराम जो मूल खातेदार स्वर्गीय कुम्भा का पुत्र व प्रार्थीया सं.5–सन्तोष जो कुम्भा की बेवा है,मूल खातेदार हाजिया लाऔलाद फौत हुआ है। अप्रार्थी सं.1–वीराराम जो स्वर्गीय चिमाराम बिश्नोई का पुत्र है जिनका नाम वर्तमान जमाबंदी में चिमाराम की मृत्यु पर दर्ज हुआ। सहायक कलेक्टर भीनमाल के मुकद्मा नम्बर 223/63 में पारित फैसला दिनांक 13.12.1963 बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अप्रार्थी सं.1 के पिता चिमाराम के पक्ष में पारित किया गया है, पत्रावली में कोई भी दस्तावेजी वादी अप्रार्थी सं.1 के पक्ष मं नही होते हुए भी निर्णय गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति वादी के पक्ष में पारित किया गया है, सम्पूर्ण कार्यवाही एक दिन में कर वाद डिक्री किया है जो अवैध व शून्य होने से निरस्तनीय है। इसी प्रतापाराम विश्नोई के पुत्र चिमाराम ने एक अन्य वाद 223/63 सहायक कलेक्टर भीनमाल के न्यायालय में प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 13.12.1963 को अनुसूचित जाति के अन्य व्यक्तियों की भूमि वाद द्वारा अपने नाम घोषित करवायी है तथा इसी भबूताराम ने वाद सं.90/67 के द्वारा भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि अपने नाम करवायी है। मौके पर उक्त भूमि पूर्व की भांति खुली पडी है तथा प्रार्थीगण का कब्जा है।

सहायक कलेक्टर भीनमालके मुकद्मा सं.223/63के निर्णय की नकल मांगने पर दिनांक 9.9.16 को बताया कि पत्रावली बहुत खोजबीन की, पुरानी ज्यादा होने व पत्रावली में दीमक लग जाने से नकल जारी करना असंभव है।रेफरेन्स की कोई म्याद निर्धारित नही है। अवैध आदेश व डिक्री को कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है ,इस हेतु कोई म्याद की कोई बांधा नही है। अतः सहायक कलेक्टर भीनमाल के मुकद्मा सं.223/63 ,दिनांक13.12.1963 के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे तथा इस आदेश व डिक्री के अनुसरण में भरे गये नामान्तरकरण सं.54 व अन्य पश्चात्वर्ती कार्यवाही को भी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स किया जावे। प्रार्थीगण ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के साथ शपथ पत्र व फहरिस्त के साथ खतौनी बन्दोबस्त व जमाबंदी की आदि नकले पेश की। इस पर रेफरेन्स दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थीगण के रेफरेन्स प्रार्थनापत्र का जवाब अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 4.9.17 को प्रस्तुत किया कि चिमाराम के हक में राजस्व वाद सं. 223/63 में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील का प्रावधान था लेकिन प्रार्थी के पूर्वज भूपला,कुम्भा व हाजिया के द्वारा अन्दर म्याद अपील पेश नही की है जिससे एकस्ट्रा ओर्डिनरी रेमेडी के तहत् रेफरेन्स पेश करने से प्रार्थीगण एस्टोप्ड है। प्रार्थीगण ने वाद सं. 223/63 का निर्णय दिनांक 13.12.1963 को होने से लगभग 53 वर्ष पश्चात् रेफरेन्स पेश करने से प्रार्थनापत्र निरस्त करने योग्य है।प्रार्थीगण ने प्राइवेट रेफरेन्स म्याद बाहर पेश किया है। खसरा नम्बर 475,586की आराजी पर प्रार्थी सं.1से 3 के पिता व प्रार्थी सं.4 के पिता व प्रार्थी सं. 5 के पति का कब्जा कभी नही रहा है तथा न ही भूपला, कुम्भा व हाजिया पिसरान् महादेवा खातेदार रहे, प्रथम सैटलमेन्ट के समय भूपला, कुम्भा व हाजिया के राजस्व रेकर्ड में हाली होने से गलत इन्द्राज हो गये। किसी न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच कर वाद को फैसल करने में कानूनी बाधा नही है तथा निर्णय होने से चिमाराम की खातेदारी घोषित होने से राजस्व रेकर्ड में चिमाराम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। धारा 42—बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिभाषा में बैचान,बख्शीश आदि से रोका गया है जिसमें वाद की डिक्री शामिल नही है। वाद की डिक्री का ट्रांसफर नही होता है। न्यायालय का निर्णय व डिक्री को एब—इनिश्यो—वॉइड नही कहा जा सकता है। प्रार्थीगण ने अपने परिवार का कुर्सीनामा वर्णित नही किया तथा वारिशान् होने के दस्तावेज पेश नही किये है जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र पेश करने का अधिकार नही है तथा प्रार्थीगण के पूर्वज भूपला,कुम्भा व हाजिया के द्वारा अपने जीवनकाल में

डिक्री व निर्णय के विरूद्ध कार्यवाही नही करने से प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र पेशकरने से एस्टोप्ड है। अन्य प्रकरण का सबंध इस रेफरेन्स से नही है,वाद सं. 223/63 में पक्षकार अलग है तथा न्यायालय का सहायक कलेक्टर भीनमाल का निर्णय व डिक्री शून्य व निरस्तनीय नही है। वर्ष 1963 में धारा 42—बी राज.काश्तकारी अधिनियम प्रभावी नही था। भबूताराम के द्वारा प्रस्तुत वाद सं. 90/67 भी सही है, जिसे कानून के तहत् स्वीकार कर डिक्री किया गया है। हालाकि वाद का सबंध इस रेफरेन्स प्रार्थनापत्र से नही है। रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के साथ डिक्री व निर्णय प्रति पेश नही होने से रेफरेन्स प्रार्थनापत्र मेन्टनेबल नही है तथा रेफरेन्स प्रार्थनापत्र काफी देरीना पेश होने से काबिल निरस्त है। अतः प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने अपने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों दोहराया व बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नही हो सकती है जो धारा 42 बी राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन है, अतःप्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना स्वीकार माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स किया जावे। इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं.1के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि वर्ष 1963 में राज. काश्तकारी अधिनियम1955 की धारा 232 का संशोधन प्रभावी नहीं था, जबकि अप्रार्थी सं.1 के पिता चिमाराम को डिक्री दिनांक 13.12.1963को सहायक कलेक्टर भीनमाल से जारी हुई है जो अधिनियम की धारा 232 का संशोधन लागू होने से पूर्व में जारी होने से तथा धारा 42—बी राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में भूमि के हस्तान्तरण में डिक्री शामिल नही होने से प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम जाखडी के पुराने खसरा नम्बर 475 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 586 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा जुमले 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 में उपभोक्ता में भूपला,कूंभला,हाजिया पिसरान् माहदेवा,कौम भाम्बी साकिन जाखल के नाम कॉलम सं.4 में उपभोक्ता के रूप में दर्ज रेकर्ड थी। सहायक कलेक्टर भीनमाल ने अपने निर्णय दिनांक 13.12.1963 के द्वारा इस खातेदारी भूमि की डिक्री चिमाराम पुत्र प्रतापाराम के नाम जारी की और उसी नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद जरिये नामान्तरकरण सं. 54 किया गया, अप्रार्थी सं. 1—वीराराम जो उक्त चिमाराम का पुत्र है। मूल खातेदार भूपला फौत हो चुका है, प्रार्थी सं. 1—केहरा, प्रार्थी सं.2—मनरूपा जो भूपला के पुत्र है तथा

प्रार्थी सं.3—मगू जो भूपला की बेवा है।मूल खातेदार कुम्भा भी फौत हो चुका है, प्रार्थी सं.4—जोराराम जो कुम्भा का पुत्र है व प्रार्थी सं.5—सन्तोष जो कुम्भा की बेवा है। मूल खातेदार हाजिया भी लाऔलाद फौत हो चुका है। वे (भूपला, कुम्भा व हाजिया) तीनो अनुसूचित जाति के काश्तकार थे और पुराने खसरा नम्बर 475 व 586 उनकी खातेदारी की भूमि थी जो खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 से साबित होती है। तत्पश्चात् जमाबंदी संवत् 2010से 2013, 2014 से 2017 व 2018से 2021 तक में भी प्रार्थी सं. 1,2,3 के पिता/पति व प्रार्थी सं.4से 5 के पिता/पति खातेदार रहे है और हाजिया की खातेदारी रही है, हाजिया लाऔलाद फौत हो चुका है। नामान्तरकरण सं. 54 के अनुसार प्रार्थी सं. 1,2,3 के पिता/पति भूपला व 4,5 के पिता/पति कुम्भा व हाजिया के स्थान पर अप्रार्थी सं.1—वीराराम के पिता चिमाराम के नाम खसरा नम्बर 475 व 586में दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में खसरा नम्बर 475,586 की आराजी चिमाराम वल्द परतापा के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है। तत्पश्चात् संवत् 2070—2073 से वर्तमान खसरा नम्बर 1116 की आराजी आज तक चिमाराम के वारिसान् के नाम चली आ रही है।यहां उल्लेखनीय हैं कि पुराने खसरा नम्बर 475रकबा 3 बीघा 16बिस्वा व 586रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.89 हेक्टर बने है। प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय यानि संवत् 2012 में खसरा नम्बर 475 व 586 ग्राम जाखल का खातेदार काश्तकार भूपला, कुंभला,हाजिया पिसरान् माहदेवा कौम भांबी साकिन जाखल अनुसूचित जाति का कृषक था व उनके भूपला, कुंभला कायम मुकाम तथा हाजिया(फौत) भी अनुसूचित जाति का कृषक था।वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर डिक्री जारी होने से पूर्व तक भूपला, कुंभला,हाजिया के नाम कब्जा काश्त खसरा नम्बर 475,586 पर था ,अप्रार्थी सं.1के पिता चिमाराम जिसके नाम डिक्री जारी की गई है व निर्णय दिया गया है जिसे खातेदार घोषित किया गया है वह गैर अनुसूचित जाति का काश्तकार है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42"ख" के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति के काश्तकार की भूमि का हस्तान्तरण गैरअनुसूचित जाति के काश्तकार को नही हो सकती थी। अप्रार्थी सं.1 के अभिभाषक का तर्क हैं कि यह हस्तान्तरण जरिये बैचान नही हुआ है बल्कि न्यायालय की डिक्री द्वारा हुआ है इसलिए धारा 42 के प्रावधान के अन्तर्गत शुमार नही होता है। इस कथन से हम सहमत नही है क्योंकि धारा 42"ख"बाबत् माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय के अनेक निर्णय पारित हुए है जो नजीरे बने है, उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि डिक्री के द्वारा किया गया हस्तान्तरण धारा 42"ख" की परिधि में आता है। अप्रार्थी सं.1 के

वकील ने जवाब में यह स्वीकार किया हैं कि प्रथम सेटलमेन्ट के समय भूपला,कुंभला,हाजिया के राजस्व रेकर्ड में हाली होने से गलत इन्द्राज हो गये। इस प्रकार प्रथम सेटलमेन्ट में कब्जा काश्त भूपला,कुंभला,हाजिया का था जो सहायक जिलाधीश भीनमाल के द्वारा डिक्री जारी करने से पूर्व तक रहा।

प्रार्थीगण ने रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत के समय सहायक कलेक्टर भीनमाल के निर्णय व डिक्री नकल पेश नही की थी और मूल दावा पत्रावली भी प्राप्त नही हुई है उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के पत्र कमांक/राज./17/94 दिनांक 2.2.2017 से बताया कि उक्त निर्णय व डिक्री से सबंधित मूल पत्रावली अथक प्रयास के बाद भी उपलब्ध नहीं हुई है। उक्त पत्रावली दीमक ने नष्ट हो चुकी है लेकिन मौजा जाखल के मूल नामान्तरकरण सं. 54 दिनांक 21.10.64 के कॉलम सं.14 में अंकित नोट से स्पष्ट हैं कि दावा सं. 223/63 में दिनांक 13.12.63 को निर्णय व डिक्री पारित हुई है। इसके अलावा, अगर सरकार की ओर से धारा 42–बी राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के उल्लंघन बाबत् रेफरेन्स प्रकरण पेश नही किया जाता है तो प्रार्थीगण द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत करने मे कोई अवैधानिकता नही हैं।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1का तर्क हैं कि रेफरेन्स लम्बी समयावधि गुजरने के बाद नही किया जा सकता है। राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 में संशोधन में डिक्री शब्द दिनांक 5.10.1981 को जोडा गया है, दिनांक 5.10.1981 के पूर्व यानि दिनांक 13.12.1963 को जारी हुई डिक्री 42–बी राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में भूमि हस्तान्तरण में शामिल नही आती है। वैसे एबइनिश्यो वॉइड नामान्तरकरण एव डिक्री के लिए रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु कोई भी समय निर्धारित नही हैं और वह किसी भी समय जानकारी होने पर किया जा सकता है। राज.काश्तकारी अधिनियम 1955की धारा 232 में डिक्री शब्द भी दिनांक 5.10.81 को जोडा गया है। अतः डिक्री के जरिये अनुसूचित जाति की भूमि गैर अनुसूचित जाति को हस्तान्तरण करने से भी धारा 42–ख का उल्लंघन है। 1995 आर आर डी.पेज 372 ,राज. सरकार बनाम नीनूआ व अन्य,निर्णय दिनांक 4.8.1994 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अभिनिर्धारित किया गया हैं कि राजस्व मण्डल डिक्री को खारिज कर सकती है भले ही वह डिक्री वर्ष 1970 से पहले की हो। इसी प्रकार मंगला बनाम सरकार 1990 आर आर डी पेज 141,1989(1)डब्लू एल एन(रेवेन्यू)पेज 224, सरकार बनाम हडमान 1996 आर बी जे पेज 128, सरकार बनाम भंवरलाल 1994 आर आर डी पेज 744 में भी माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया हैं कि डिक्री के विरूद्ध

रेफरेन्स धारा 232 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में अवैध रूप से व कानून के विपरीत पारित दिनांक 5.10.81 से पूर्व में यानि दिनांक 13.12.63 को पारित डिक्री को भी निरस्त किया जा सकता है। धारा 42'ख'' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को हस्तान्तरण में विक्रय,दान,वसीयत के अलावा डिक्री भी शामिल आती है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह भलीभांति साबित होता हैं कि एस.डी.ओ.भीनमाल ने अपने निर्णय दिनांक 13.12.1963 के द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदार काश्तकार भूपला,कुंभला व हाजिया की भूमि को जरिये डिक्री पारित कर गैर अनुसूचित जाति के काश्तकार को हस्तान्तरण की गई हैं जो धारा 42''ख'' के प्रावधानों के विपरीत है। अतः डिक्री एवं उसके अनुपालन में स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं.54 निरस्त किये जाने योग्य होने से रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वास्ते रेफरेन्स उचित मानते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स किया जाता है कि ग्राम जाखल के पुराने खसरा नम्बर 475रकबा 3 बीघा 16बिस्वा,व खसरा नम्बर 586रकबा 5बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि प्रार्थी सं. 1चिमाराम जो (अप्रार्थी सं.1 के पिता) के नाम खातेदारी में दर्ज रही,भूपला, कुंभला व हाजिया फौत हो चुका है जो अनुसूचित जाति के काश्तकार रहे है,उक्त भूमि का हस्तान्तरण जरिये डिक्री एस.डी.ओ.भीनमाल ने दिनांक 13.12.1963 को चिमाराम (अप्रार्थी सं.1के पिता) के हक में किया है, चिमाराम व उसके कायम मुकाम गैर अनुसूचित जाति के काश्तकार है,ऐसी स्थिति में डिक्री और फैसला दिनांक 13.12.1963 तथा इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 54 आदि निरस्त करवाने का श्रम करावे। पक्षकारान को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक **16.10.2019** को माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में उपस्थित रहे। उक्त भूमि का रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन होने से अप्रार्थी सं.1 उक्त भूमि का माननीय राजस्व मण्डल से कोई अग्रिम आदेश नही होने तक बैचान नही करे, इसकी प्रति तहसीलदार सांचोर को भी भेजी जावे।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आदेश,आज दिनांक 30.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:10:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: